

## न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास- कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -142/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
सहदेव पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी खोडवा तहसील खींवसर जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर 2. निम्बाराम पुत्र स्व. भोमाराम 3. शिवदानराम पुत्र स्व. भोमाराम 4. परसाराम पुत्र स्व. भोमाराम 5. इन्द्रा पत्नी भोपालराम 6. बाबुलाल पुत्र भोपालराम 7. मोकली पत्नी स्व. भंवरलाल जाति जाट निवासीगण खोडवा तहसील खींवसर जिला नागौर

## उपस्थिति:-

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुडखुडिया।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

## निर्णय

दिनांक 27.03.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2016 सरकार बनाम भंवरलाल अधीन धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.12.2017 को प्रस्तुत की है। अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 7 ने प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का ताडावास ने अपीलांट के पिता स्व. भंवरलाल को खसरा नम्बर 86 रकबा 15 बिस्वा वाके मौजा खोडवा गे.मु. गोचर पर अतिक्रमी संवत् 2073 का बताकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार खींवसर के समक्ष पेश की जिस पर तहसील से अपीलांट के पिता भंवरलाल के पास नोटिस आने पर अपीलांट अपने पिता भंवरलाल को दिनांक 29.08.2016 को लेकर तहसील कार्यालय खींवसर में गया तथा कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही तो उन्हे कहा गया कि आप हस्ताक्षर करके चले जाओ बाद में पेशी का पता कर लेना आपकी पुरानी अपील की फाईल में कार्यवाही कर रहे है व जवाब आदि पेश कर देना जिस पर अपीलांट व उसके पिता ग्रामीण परिवेश के मात्र साक्षर व्यक्ति होने व कानूनी पेचीदगीयों से अनभिज्ञ होने से तहसील वालो के कहने से विश्वास करके अपीलांट के पिता भंवरलाल ने हस्ताक्षर कर दिये बाद में उक्त दिनांक 29.08.2016 को आदेशिका में यह दर्ज कर दिया कि "गैर सायल उपस्थित, निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया, पत्रावली फाईल शुमार होकर नम्बर से कम हो।" तत्पश्चात् तहसील से कोई सूचना या नोटिस पेशी बाबत नहीं आया और इसी दौरान अपीलांट के पिता भंवरलाल का

कलक्टर, नागौर



देहान्त दिनांक 26.10.2017 को हो गया व हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आकर अपीलांट को उसके मकान से बेदखल करने का कहा व अपीलांट के पिता भंवरलाल के विरुद्ध तहसीलदार का निर्णय हो रखा होना बताया जिस पर अपीलांट तहसील कार्यालय खींवसर में दिनांक 12.12.2017 को जाकर पता करवाया व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलांट के पिता स्व. भंवरलाल के विरुद्ध कार्यवाही की गई, निर्णय प्रिन्टेड फार्म पर किया गया है, जबकि अपीलांट के पिता का कोई नया कब्जा नहीं था, अपीलांट व उसके पिता के बंट का मकान पीढियों पुराना बना हुआ है फिर भी पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर काबिज स्वामित्व को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट व उसके पिता के उक्त मकान के आस पास चारो तरफ आबादी बसी हुई है अपीलांट के पिता गेर सायल भंवरलाल का दिनांक 26.10.2017 को देहान्त हो जाने से अपीलांट स्व. भंवरलाल का विधिक उत्तराधिकारी होने व उक्त पुश्तेनी मकान में परिवार सहित निवास करने से उक्त निर्णय से पीडित व प्रभावी व्यक्ति है इसलिए अपीलांट को उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है व कानूनी राय मिलने पर अपील की तैयारी हेतु दिनांक 13.12.2017 को नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सांय तक अपील तैयार करवाई व बिना किसी देरी के दिनांक 14.12.2017 को अपील पेश की जिसे प्रथम जानकारी दिनांक 12.12.2017 से अन्दर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विश्वास एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खोडवा पूर्व तहसील नागौर हाल तहसील खींवसर के ग्राम आबादी राजस्व रेकर्ड में साबिका खसरा नम्बर 224 स्थित था जिसके पश्चिम में गांव आबादी में पीने का पानी के लिए सार्वजनिक कुआं एक ऐसा निर्माण है जो कालान्तर में दिशा व स्थान बदला जाना संभव नहीं है साबिका राजस्व नक्शे में बताई आबादी व कुएं के स्थान के मध्य एवं उतरी पूर्वी एवं कुएं के उतरी पूर्वी दिशा में तथा साबिका खसरा नम्बर 224 आबादी के पश्चिमी सिरे पर आबादी में अपीलांट के पडदादा स्व. धन्नाराम व दादा भोमाराम के घर, बाडा व ऐवाडा रहता आया था। भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले से ही अपीलांट के पडदादा व दादा का रिहायशी घर, बाडा था। गत भूप्रबंध के वक्त भूप्रबंध अधिकारियों व कर्मचारियों ने गत खसरा नम्बर 227 गैर मुमकिन कुएं का वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 225 दर्ज किया था। कुएं व आबादी के उतरी पश्चिमी तरफ स्थित साबिका खसरा नम्बर 207 के नये खसरा नम्बर 86 दर्ज किये तथा नक्शा बनाते समय आबादी के पास स्थित खसरान की स्थिति में बिना अधिकार परिवर्तन करते हुए अपीलांट के पडदादा व दादा के रिहायशी भूखण्ड को साबिक आबादी में था जो वर्तमान आबादी दर्ज न कर रिहायशी भूखण्ड को खसरा नम्बर 86 में गलती से दर्ज कर दिया। अपीलांट के दादा व पडदादा के घर बाडों को आबादी समझते हुए अपीलांट के दादा का अतिक्रमण सरकारी भूमि में अर्थात खसरा नम्बर 86 में दर्ज नहीं किया। संवत् 2020 से 2021 के आस पास जब पटवारी हल्का ने वर्तमान भूप्रबंध के बनाये गलत नक्शा के अनुसार व अपीलांट के दादा भोमाराम के उतरी पूर्वी तरफ स्थित मकान व बाडे को राजस्व भूमि में अतिक्रमण के रूप में दर्ज किया तथा संवत् 2021 से आज दिन तक लगभग पांच दशको से गिरदावरी में मकान व बाडे के रूप में अतिक्रमण दर्ज करते रहे है इस दौरान अपीलांट के दादा के हक में खसरा नम्बर 86 रकबा सवा बीघा का आवासीय पट्टा होना मानते हुए धारा 91 के तहत पूर्व में प्रकरण संख्या 178/65 दर्ज कर खसरा



नम्बर 86 के सवा बीघा के पट्टे का जिक्र करते हुए पत्रावली को तहसील सलाहकार समिति के पास प्रेषित की। अपीलांट के दादा के देहान्त के बाद अपीलांट के पिता को सन 2009 में तहसीलदार द्वारा बेदखल की कार्यवाही का आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अपीलांट के पिता ने माननीय न्यायालय में अपील पेश की जो अपील संख्या 102/12 भंवरलाल बनाम राज.सरकार वगैरा दर्ज होकर दिनांक 12.04.2014 को निर्णित हुई जिसमें अपील को तत्कालीन जिला कलक्टर ने आंशिक स्वीकार कर पत्रावली रिमाण्ड करते हुए अपीलांट के पिता भंवरलाल जो उस समय अपीलांट थे उनको विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत लेकर विधिवत निर्णय करने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार ने कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया न कोई उक्त प्रकरण में निर्णय किया और उक्त पत्रावली तहसील कार्यालय में मौजूद होते हुए भी हाल ही में पटवारी हल्का ताडावास ने अपीलांट के पिता स्व० भंवरलाल को खसरा नम्बर 86 रकबा 15 बिस्वा वाके मौजा खोडवा गै.मु. गोचर पर अतिक्रमी संवत् 2073 का बताकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार खीवसर के समक्ष पेश की जिस पर तहसील से अपीलांट के पिता भंवरलाल के पास नोटिस आने पर अपीलांट अपने पिता भंवरलाल को दिनांक 29.08.2016 को लेकर तहसील कार्यालय खीवसर में गया तथा कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही तो उन्हें कहा गया कि आप हस्ताक्षर करके चले जाओ बाद में पेशी का पता कर लेना आपकी पुरानी अपील की फाईल में कार्यवाही कर रहे हैं व जवाब आदि पेश कर देना जिस पर अपीलांट व उसके पिता ग्रामीण परिवेश के मात्र साक्षर व्यक्ति होने व कानूनी पेचीदगीयों से अनभिज्ञ होने से तहसील वालो के कहने से विश्वास करके अपीलांट के पिता भंवरलाल ने हस्ताक्षर कर दिये बाद में उक्त दिनांक 29.08.2016 को आदेशिका में यह दर्ज कर दिया कि "गैर सायल उपस्थित, निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।" तत्पश्चात् तहसील से कोई सूचना या नोटिस पेशी बाबत नहीं आया और इसी दौरान अपीलांट के पिता भंवरलाल का देहान्त दिनांक 26.10.2017 को हो गया व हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आकर अपीलांट को उसके मकान से बेदखल करने का कहा व अपीलांट के पिता भंवरलाल के विरुद्ध तहसीलदार का निर्णय हो रखा होना बताया जिस पर अपीलांट तहसील कार्यालय खीवसर में दिनांक 12.12.2017 को जाकर पता करवाया व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलांट के पिता स्व. भंवरलाल के विरुद्ध कार्यवाही की गई, निर्णय प्रिन्टेड फार्म पर किया गया है, जबकि अपीलांट के पिता का कोई नया कब्जा नहीं था, अपीलांट व उसके पिता के बंट का मकान पीढियों पुराना बना हुआ है फिर भी पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर काबिज स्वामित्व को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट व उसके पिता के उक्त मकान के आस पास चारो तरफ आबादी बसी हुई है अपीलांट के पिता गैर सायल भंवरलाल का दिनांक 26.10.2017 को देहान्त हो जाने से अपीलांट स्व. भंवरलाल का विधिक उत्तराधिकारी होने व उक्त पुश्तेनी मकान में परिवार सहित निवास करने से उक्त निर्णय से पीड़ित व प्रभावी व्यक्ति है इसलिए अपीलांट को उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है व कानूनी राय मिलने पर अपील की तैयारी हेतु दिनांक 13.12.2017 को नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सांय तक अपील तैयार करवाई जाकर यह अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश जैर अपील कतेई गलत, सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपीलांट व गैर सायल स्व. भंवरलाल को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी पीठ पीछे पारित किया होने से अपास्त/निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के पिता के विरुद्ध पूर्व में सन् 2009 में भी कार्यवाही हुई थी जिसकी उपरोक्त बताये अनुसार अपील हुई व अपील स्वीकार होकर तहसीलदार को रिमाण्ड की गयी जिससे तहसीलदार के समक्ष यह स्पष्ट था कि अपीलांट के पिता गैर सायल भंवरलाल का कृषि वर्ष 2073 का कब्जा नहीं है बल्कि पुराना कब्जा है जो रिकर्ड, अपील, अपीलांट के निर्णय, पूर्व की कार्यवाही के रिकर्ड आदि से साबित था इसके बावजूद संबंधित

**कलक्टर, नागौर**



दस्तावेजात का अवलोकन, जांच किये बिना व पूर्व में पत्रावली रिमाण्ड होकर आने पर उसमें कार्यवाही किये बिना पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके प्रथम पेशी पर ही कोई जवाब व साक्ष्य सबूत लिये बिना निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की है वह विधि विरुद्ध है तथा छपे छपाये प्रिन्टेड फार्म पर रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी, जबकि मौके पर कथित गोचर भूमि कहां स्थित है, उसका कितना रकबा है कब किन मौतबिरान के सामने गोचर भूमि का नाप चोप किया, मौके पर कितने लोगों के पीढियों पुराने रहवासी मकान बने हुए हैं, भूमि किस प्रयोजनार्थ पीढियों से काम आ रही है अपीलान्ट का नया कब्जा किस रूप में है? इस संबंध में कोई विवरण दर्ज नहीं है केवल मात्र गांव के कुछ राजनेतिक रंजिश रखने वाले लोगों के कहने से अपीलान्ट व उसके परिवार वालों को नाजायज तंग परेशान करने व उनके पीढियों पुराने मकान से उनको बेदखल करवाने की नियत से मिथ्या रिपोर्ट पेश करवा दी व ऐसी आधी अधूरी, विधि विरुद्ध रिपोर्ट के संबंध में तहसीलदार ने कोई जांच किये बिना, आदेश पारित किया है मौके पर कदीम से काबिज मालिकों को सुने बिना उनको जानकारी दिये बिना उनकी पीठ पीछे आदेश पारित किया है जो स्पष्ट रूप से विधि व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत तलबी रूपान्तरण पत्रावली प्रस्तुत करते हुए कथन किया एवं अपनी मौखिक बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरा पर अतिक्रमण के संबंध में पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 102/2012 भंवरलाल बनाम राज0 राज्य वगैरह में दिनांक 12.4.2014 को निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, जैर अपील निर्णय निरस्त कर मामला तहसीलदार खीवसर को विवादित आराजी भूमि के संबंध में अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवाई साक्ष्य आदि का पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु तहसीलदार खीवसर द्वारा उक्त संबंध में कोई निर्णय पारित किये बिना ही पुनः हस्तगत प्रकरण उसी खसरे के संबंध में दर्ज कर लिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा तहसीलदार नागौर के आदेश राजस्व 131/28.1.1975 की पत्रावली में नामान्तरकरण संख्या 40 के जरिये खसरा(वादग्रस्त) नम्बर 86 में से 15 बिस्वा भूमि आबादी में रूपान्तरित की गई है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरा नम्बर 86 पर अतिक्रमण का प्रकरण संख्या 108/65 नायब तहसीलदार नागौर के सरकार बनाम रामदेव इत्यादि के नाम दर्ज हुआ जिसका निर्णय तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा 8.6.1965 को निर्णय करते हुए निर्णय में खसरा नम्बर 86 का 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामदेव भोमाराम पिसरान धन्नाराम के हक में नियमन आदेश पारित जारी किये थे, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है इसलिए उक्त प्रकरण को उक्त तथ्यों के मध्य नजर अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य, सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

जिस मकान, बाडा आदि से बेदखली का जो निर्णय/ आदेश पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये तहसीलदार ने पारित किया है उक्त जायगा, निर्माण अपीलान्ट का पीढियों पुराना है अपीलान्ट कानूनन मालिक है लाखों रूपये खर्च करके बनवाये हुए हैं तथा पूर्व में सलाहकार समिति ने पट्टा आदि की सिफारिश भी कर रखी है तथा पूर्व में जिला कलक्टर ने भी स्व. भंवरलाल की अपील स्वीकार कर पुनः विधिवत निर्णय करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की थी इसके बावजूद तहसीलदार ने वास्तविक काबिज स्वामी को सुने बिना आदेश/निर्णय पारित किया है उक्त निर्णय की आड में उक्त मकान, निर्माण को ध्वस्त कर दिया तो अपीलान्ट के परिवार के निवास की कोई जगह नहीं रहेगी उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के मुआवजा से करना संभव नहीं होगा। विद्वान तहसीलदार यदि राजस्व रेकॉर्ड पत्रावली, रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते, अपने स्तर पर जांच कर सही नाप चोप करवाते, मौका स्थिति का

**कलक्टर, नागौर**



जायजा लेते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर उन्होंने अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना, वास्तविक मालिक को सुनवाई का अवसर दिये बिना, साक्ष्य सबूत लिये बिना गैर कानूनी ढंग से मिथ्या आदेशिका दर्ज कर अपीलांट की अनुपस्थिति में आदेश/निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का व तहसीलदार ने धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है व विधि विरुद्ध एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गयी रिपोर्ट व निर्णय की आड में मौके पर पुराने समय से बने अपीलांट के मकान आदि को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है ऐसी स्थिति में तुरन्त आदेश/निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत होने का कथन करते हुए वकील अपीलांट ने अपीलांट की अपील स्वीकार कर निर्णय/आदेश जैर अपील अपास्त/निरस्त करने व अपील में दर्ज पूर्व प्रकरण में जो पत्रावली रिमाण्ड हुई है उन तथ्यों बाबत जांच करवाई जाकर व पूर्ण साक्ष्य सबूत का अवसर देकर नाप चोप कर विधिवत सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनकर मेरिट पर निर्णय करने हेतु पत्रावली विशेष निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया की अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त सार्वजनिक हित की गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी ताडावास की रिपोर्ट दिनांक 18.07.16 पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का ताडावास द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक ताडावास से प्रमाणित रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम खोड़वा के खसरा नम्बर 86 रकबा 0-15 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि पर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार खींवसर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार खींवसर द्वारा साईक्लोस्टाईल प्रफोमा में बिना किसी विवेचन के निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो उचित नहीं हैं। तहसीलदार खींवसर द्वारा वादग्रस्त खसरा पर अतिक्रमण के संबंध में पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 102/2012 भंवरलाल बनाम राज0 राज्य वगैरह में दिनांक 12.4.2014 को निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, जैर अपील निर्णय निरस्त कर मामला तहसीलदार खींवसर को विवादित आराजी भूमि के संबंध में अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवाई साक्ष्य आदि का पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे, उक्त संबंध में उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है के संबंध में कोई विवेचन निर्णय जैर अपील में नहीं किया गया है। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार तहसीलदार खींवसर द्वारा उक्त संबंध में कोई निर्णय पारित किये बिना ही पुनः हस्तगत प्रकरण उसी खसरे के संबंध में दर्ज कर लिया है, जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा तहसीलदार नागौर के आदेश राजस्व 131/28.1.1975 की पत्रावली में नामान्तरकरण संख्या 40 के जरिये खसरा(वादग्रस्त) नम्बर 86 में से 15 बिस्वा भूमि आबादी में रूपान्तरित की गई है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरा नम्बर 86 पर अतिक्रमण का प्रकरण संख्या 108/65 नायब तहसीलदार नागौर के सरकार बनाम रामदेव इत्यादि के नाम दर्ज हुआ जिसका निर्णय तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा 8.6.1965 को निर्णय करते हुए निर्णय में खसरा नम्बर 86 का 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामदेव भोमाराम पिसरान धन्नाराम के हक में नियमन आदेश पारित जारी किये थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में भी कोई अपील निर्णय में कोई विवेचन किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित नहीं माना जा सकता है और प्रकरण

पुनः नये सिरे से उक्त तथ्यों के मध्यनजर तहसीलदार खीवसर को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाता है तथा मामला तहसीलदार खीवसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले के संबंध में उपर्युक्त विवेचन में वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिये गये तथ्यों के संबंध में अपीलान्त को विधिवत् रूप से सुनवाई व साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।



(कुमार गौतम)  
जिला कलेक्टर, नामौर  
कलेक्टर, नामौर